खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम गणेशराम

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, कुचामन सिटी
(पीठासीन अधिकारी: जगदीश प्रसाद गौड, आर.ए.एस.)

आवेदकः–

श्री बाबुलाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।

बनाम

अप्रार्थी / अभियुक्तः–

1. श्री गणेशराम पुत्र श्री मोटा राम (खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक)
फर्म – मैसर्स गणेश पनीर, साकेल नगर, राणासर फाटा, कुचामन सिटी।
निवासी – नुवा, बेरीछोटी, नागौर

जीसीएमएस न. 2024/12

प्रकरण संख्या :–05/2024

" अर्न्तगत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx), धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51 "

उपस्थितः–

1. अभियुक्त गणेशराम पुत्र श्री मोटाराम

–:निर्णय :–

दिनांक :– 24.062024

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक श्री बाबुलाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.11.2023 को समय 03:00 पी..एम. पर फर्म मैसर्स गणेश पनीर, साकेल नगर, राणासर फाटा, कुचामन सिटी पर पॅहुचा। वहां पर खाद्यकारोबारकर्ता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति श्री गणेशराम पुत्र श्री मोटाराम निवासी नुवा, बेरीछोटी, नागौर पर खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक की हैसियत से मौजूद है। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन, स्वयं के आधार कार्ड तथा स्वहस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत कि जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(2) यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर खाद्यकारोबारकर्ता मालिक की उपस्थिति मे संस्थान के निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध पनीर (लूज) डी फिज में लगभग 40 किलोग्राम रखे है, इसमें अमानक का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत खाद्य नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना गवाह के सामने खाद्यकारोबारकर्ता मालिक को प्रपत्र 5ए में भरकर दिया तथा असल प्रति पर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व खाद्यकारोबारकर्ता मालिक के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले खाद्यकारोबारकर्ता मालिक को बता दिया था कि यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:17:54 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय कुचामन सिटी

नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है।

(3) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाहान की उपस्थिति मे खाद्यकारोबारकर्ता से उपरोक्त वर्णित खाद्य पदार्थ मे से 1 किलोग्राम पनीर (लूज) नमुना जाच हेतु खरीदा जिसकी किमत खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक को रू. 220/–नगद (अक्षरे दो सो बीस रूपये मात्र) देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व खाद्यकारोबारकर्ता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(4) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान को चार साफ, सूखी एंव खाली चौडे मुह की प्लास्टिक की बोतलें दिखाकर उक्त खरीदशुदा 1 किलोग्राम पनीर (लूज) को चार बराबर–बराबर भागों में बाटकर चारों साफ सुखे एंव खाली बोतलों में डाला एंव प्रत्येक बोतल मे 40–40 बुंद फार्मलिन की बतौर प्रिजरवेटिव डाली गई। इन चारों नमूना बोतलों के ढक्कन से एयर टाईट बन्द किया। उक्त चारों भागों के लिए खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक एंव गवाहान की उपस्थिति में चार अलग–अलग लेबल तैयार कर डीओ एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ अधिकारी नागौर का कोड व क्रमांक Q-2683 लिखा एवं अन्य विवरण अकिंत कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात प्रत्येक नमूना बोतलों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोड़कर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप, कोड व क्रमाक Q–2683 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वंय मैने भी हस्ताक्षर किये। खाद्यकारोबारकर्ता मालिक ने भी नियमानुसार पेपर स्लिप व खाकी कागज को क्रोस करते हुए हस्ताक्षर किये। फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता श्री गणेशराम एंव गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किए। फर्द रिपोर्ट मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

(5) यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की छः प्रतियां तैयार की व प्रत्येक पर नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया था। एक नमुना भाग मय फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को अगले कार्य दिवस को देकर रसीद प्राप्त की, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। फॉर्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर फार्म स. 6 की अग्र भाग पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फॉर्म स. 6 की दो प्रतियां एवं फॉर्म स. 6 की एक प्रति के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 18:17:54 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला मजिस्ट्रेट कुचामन सिटी (मोहर)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
कुचामन सिटी

आउटर कवर मे सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को अगले कार्य दिवस को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(६) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक FSSA / जांच रिपोर्ट / 2023 / 910 दिनांक 08.12.2023 को जांच रिपोर्ट संख्या LS/1739/Act/2023/1776 दिनांक 17.11.2023 के अनुसार खाद्यकारोबारकर्ता मालिक से वास्ते नमूना जाँच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ पनीर (लूज) का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। जाँच रिपोर्ट मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

(७) प्रकरण मे अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ पनीर (लूज) अवमानक विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) एवं धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया, जो इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियोजन ने स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, कुचामनसिटी के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावें।

(८) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को नोटिस जारी किया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 18.06.2024 को अभियुक्त श्री गणेशराम ने उपस्थित होकर बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर द्वारा पनीर (लूज) का नमूना जांच के लिये लिया गया था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार अवमानक होना पाया गया। जिसके सम्बन्ध में निवेदन है कि उक्त पनीर को बनाने के लिए हम दुध बाहर से खरीदते है जिसकी क्वालिटी का हमे जानकरी नहीं थी। निवेदन करता हूं कि आगामी समय में कभी ऐसी गलती नहीं होगी।

(9) पत्रावली पर सुनी गई बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध जवाब, दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर फूड एनालिस्ट राजस्थान अजमेर के FORM B रिपोर्ट नं. LS/1739/Act/2023/1776 दिनांक 17.11.2023 का अवलोकन किया गया जिसमे फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:–

Opinion- The sample of Paneer bearing Code no. and Sr. no. Q-2683 of Designated officer cum Chief Medical and Health Officer, Nagaur is Sub Standards as it does not conform to the prescribed standards and provisions of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:17:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट * कुचामन सिटी

अति. जिला मजिस्ट्रेट
कुचामन सिटी

जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता गणेशराम से वास्ते क्रय किया गया खाद्य पदार्थ पनीर (लूज) अवमानक (सबस्टैण्डर्ड) होना पाया गया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) एंव धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एंव इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii), धारा 3(1)(zx) एंव 51 इस प्रकार है:–

धारा 26:– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्व:–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का:–

(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक हैं या उसमें बाह्य पदार्थ मिले हैं

धारा 51

कोई व्यक्ति जो चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे खाद्य पदार्थ का जो अवमानक है, मानव उपभोग के लिए, विक्रय हेतु विनिर्माण या भंडारण करता है या विक्रय या वितरण या आयात करता है शास्ति का, जो पांच लाख रूपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

धारा – 3

(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(zx) "अवमानक" से कोई खाद्य पदार्थ तब अवमानक समझा जाएगा यदि वह विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करता है किन्तु उससे खाद्य पदार्थ असुरक्षित नहीं होता है

(10) पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक चिकि/एफएसएसए/जा.रि/2023/910 दिनांक 08.12.2023 से उक्त को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है, किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। अनुसार जांच रिपोर्ट खाद्य कारोबारकर्ता गणेशराम से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ नमूना Q–.2683 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) एंव धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एंव इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। इस प्रकार अवमानक(सबस्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ के विक्रय करने पर फर्म–मैसर्स गणेश पनीर, साकेल नगर, राणासर फाटा, कुचामन सिटी खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक गणेशराम पुत्र श्री गोदाराम निवासी [illegible] गुवा, बेरी छोटी दोषी व उतरदायी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:17:54 IST
Reason: SelfAttested

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक [illegible] धारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–[illegible]08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए [illegible] अधिनियम 2006 की धारा 51 के

अति. जिला मजिस्ट्रेट
कुचामन सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट * कुचामन सिटी

तहत खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक गणेशराम पुत्र श्री मोटाराम निवासी नुवा, बेरी छोटी, फर्म:– मैसर्स गणेश पनीर, साकेत नगर, राणासर फाटा, कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन पर राशि रुपये 15,000/–(अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अभियुक्त को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अभियुक्त से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अभियुक्त निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सूनिश्चित करेंगे।

(11) आदेश दिनांक 24.06.2024 को टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय कुचामन सिटी

(जगदीश प्रसाद गौड़)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला कलक्टर, कुचामनसिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:17:54 IST
Reason: SelfAttested